

सं0सं0-16/सी.1-05/2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

डॉ० ओम प्रकाश सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-2342/2024 ओम प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की औपबधिक वरीयता सूची को अंतिम रूप देने एवं उनके द्वारा की गयी आपत्ति का निराकरण कर वरीयता निर्धारण हेतु वाद दायर किया गया था। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.02.2024 को आदेश पारित किया गया है जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

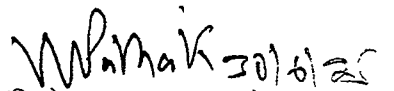
"-----After some arguments, the learned counsel for the petitioner seeks not to press the present writ petition, however, seeks liberty on, behalf of the petitioner to approach the Respondent No.2 i.e. the Additional Secretary, Department of Health, Government of Bihar. Patna, for redressal of his aforesaid grievances. Liberty, so sought, is granted.

Accordingly, the present writ petition stands disposed off."

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वादी डॉ० सिंह द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया था। स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 388 (आ०चि०) दिनांक 15.04.2024 द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सको/चिकित्सक शिक्षको की वरीयता सूची का निर्धारण एवं आपत्तियों के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा डॉ० सिंह के मामले पर सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त करने का अनुशसा किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श है कि डा० सिंह की वरीयता दिनांक 01.06.1986 के प्रभाव से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी के संवर्ग में निर्धारित करना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक 880(आ०चि०) दिनांक 28.08.2024 द्वारा निर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों की औपबधिक वरीयता सूची में डॉ० सिंह की वरीयता 6 (छठे) स्थान पर निर्धारित किया जाता है।

इसके पूर्व निर्गत वरीयता सूची इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

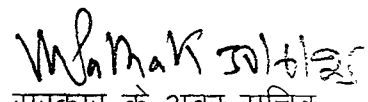

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16/सी.1-05/2024 - 961 (आ. चि.) पटना, दिनांक - 30.6.2024

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/वरीयता निर्धारण समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्राचार्य/अधीक्षक आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, बिहार/सभी जिला देश चिकित्सा पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी/डॉ० ओ. प्रकाश सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय श्री धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय ए चिकित्सालय, अहिरौली, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई.टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव